न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद, जिला – प्रतापगढ

पीठासीन अधिकारी – डॉ. कुलराज मीणा (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 08 / 2017 **दायर दिनांक** :– 16–02–2017

निर्णय दिनांक :– 25-6-18

01. अरविन्द पिता हरिराम भील आयु 35 वर्ष पेशा कृषि निवासी चिकली(सेवना) तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज.

02. कारूलाल पिता स्व. श्री लक्ष्मण भील आयु 30 वर्ष पेशा कृषि निवासी चिकली(सेवना) तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज.

03. मोहनलाल पिता स्व. श्री मन्ना भील आयु 55 वर्ष पेशा कृषि निवासी चिकली(सेवना) तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज.

04. नानूराम पिता स्व. श्री मन्ना भील आयु 45 वर्ष पेशा कृषि निवासी चिकली(सेवना) तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज.

05. रामचन्द्र पिता स्व. श्री मन्ना भील आयु 60 वर्ष पेशा कृषि निवासी चिकली(सेवना) तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज.

06. गोर्धन पिता स्व. श्री भीमजी भील आयु 55 वर्ष पेशा कृषि निवासी चिकली(सेवना) तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज.

07. गोपाल पिता स्व. श्री गांगजी भील आयु 45 वर्ष पेशा कृषि निवासी चिकली(सेवना) तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज.

08. भगवानलाल पिता स्व. श्री गौतम भील आयु 40 वर्ष पेशा कृषि निवासी चिकली(सेवना) तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज.

– वादीगण

–:: बनाम ::–

01. लक्ष्मीनारायण पिता मथुरादास ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी प्रतापगढ जिला प्रतापगढ राज0
02. तहसीलदार, अरनोद जिला प्रतापगढ (राज0) –

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा0टी0 एक्ट एवं 136 ले0रे0एक्ट वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1– श्री एन.एल. मीणा अभिभाषक वादीगण

2– श्री पप्पु शर्मा अभिभाषक प्रतिवादीगण

–:: निर्णय :–

Scanned with CamScanner

वादीगण की ओर से एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण का प्रस्तुत कर निवेदन
वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 01, 02 जाप्ता दीवानी निम्न आधारों पर पे

मौजा (ग्राम) सेवना, पटवार हल्का सेवना, तहसील अरनोद तत्कालीन जिला
वर्तमान जिला प्रतापगढ राज0 में निम्नांकित वर्तमान आराजी नम्बरों की आराजीयात (कृ
स्थित है–

वर्तमान आराजी नम्बर(खसरा संख्या)	क्षेत्रफल(हैक्टेयर में)	लगान (रूपयों में)
735	1.27 है0	9.10 पैसा
741	0.61 है0	3.66 पैसा
742	0.62 है0	3.72 पैसा
743	0.59 है0	3.54 पैसा
764	0.22 है0	1.05 पैसा
765	1.00 है0	5.99 पैसा
766	1.05 है0	6.29 पैसा
कुल किता :– 07	कुल रकबा :– 5.36 हैक्टेयर	कुल लगानी:– 33.35 पैसा

पुष्टि में चालू जमाबन्दी, खसरा एवं ट्रेस की नकल वाद पत्र के साथ पेश है।

उपरोक्त वर्णित आराजी नम्बर 735 रकबा 1.27 हैक्टेयर वादी क्र.– 1, 741 रकबा 0.61 है0, वादी क्र.– 8, 742 रकबा 0.62 है0, वादी क्र.– 6, 743 रकबा 0.59 है0, वादी क्र.– 7, 764 रकबा 0.22 है0 व 765 रकबा 1.00 है0 वादी क्र.–3, 4, 5 एवं 766 रकबा 1.05 है0 वादी क्र.2 – वर्तमान में काबिज होकर काश्त कर रहे हैं।

उपरोक्त कॉलम सं.–1 में वर्णित आराजीयात के पुराने आराजी नम्बर निम्न है–

क्र.सं.	वर्तमान आराजी नम्बर	रकबा(है0)	गत आराजी नम्बर	रकबा (बीघा में)
1	735	1.27	1032/1006	6 बीघा 7 बिस्वा
2	741	0.61		
3	742	0.62	1011 मी	9 बीघा 2 बिस्वा
4	743	0.59		
5	764	0.22	1043/1008	1 बीघा 2 बिस्वा
6	765	1.00		
7	766	1.05	1007 मी	10 बीघा 5 बिस्वा
किता :– 07		कुल रकबा :– 5.36 है0	किता :– 4	कुल रकबा :– 26 बीघा 16 बिस्वा

Scanned with CamScanner

इस प्रकार गत आराजीयात का कुल रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा हैं। पुष्टि में भू–प्रबंध विभाग की मिलान क्षेत्रफल नकल वाद पत्र के साथ पेश हैं।

वर्तमान रेवेन्यु रिकॉर्ड में इन आराजियों के खातेदार लक्ष्मीनारायण पिता मथुरादास ब्राहम्ण प्रतिवादी क्रमांक–1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पुष्टि में चालू जमाबन्दी संवत 2062 से 2066 की पेश है।

उक्त वादपत्र की चरण क्रमांक – 3 में जो खातेदार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है इनका नाम जागीरदारी के समय गलती से दर्ज हो गया हैं। जबकि वास्तविकता यह हैं कि प्रतिवादी क्रमांक–1 का इन वादग्रस्त आराजीयात कब्जे व खातेदार नहीं थे, इनके द्वारा कभी उक्त आराजीयात पर काश्त नहीं किया।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 में जो टेनेन्ट की परिभाषा दी है उसमें स्पष्ट हैं कि जिसके द्वारा रेण्ट दिया जाना चाहिए वही टेनेण्ट है और रेण्ट किसके द्वारा दिया जाना चाहिए इसके बारे में स्पष्टीकरण इसी परिभाषा में आया है कि जमीन के उपयोग व उपभोग के बदले उपयोगकर्ताओं से जो रकम ली जाती है उसे रेण्ट कहते हैं। इसको समग्र दृष्टि से समझाने से स्पष्ट हैं कि जो व्यक्ति जमीन का उपयोग व उपभोग करता है उसी के द्वारा रेण्ट देय हैं और वही व्यक्ति टेनेण्ट है।

रियासत देवगढ प्रतापगढ के समय से संवत् 2002–2003 व 2004 में भी प्रतिवादी क्रमांक –1 या इनके पूर्वज इनमें से कोई भी वादग्रस्त आराजियों का टेनेन्ट नहीं था अर्थात प्रतिवादी ने कभी भी इन वादग्रस्त आराजीयों का उपयोग–उपभोग नहीं किया था अर्थात संवत् 2002 के बाद से कभी टेनेण्ट नहीं थे बल्कि वादीगण के बाप–दादा ही इन वादग्रस्त आराजीयों में खेती करते थे। खुद अपने हाथों से हल चलाते थे खुद खेतों में खाद–बीज डालते, खुद हंकाई, खुदाई, निराई, कटाई, करते थे इसीलिए इसी प्रकार वादीगण के बाप–दादा ही तत्कालीन रियासत देवगढ प्रतापगढ वादीगण के बाप–दादाओं से रेण्ट या लगान वसूल करती थीं। उस रेण्ट या लगान जो वसूल किया गया उसकी असल रसीदें एवं फोटो स्टेट कॉपी श्रीमान न्यायालय आपकी सेवा में वादपत्र के साथ पेश की जा रही है।

इसके बाद रियासत देवगढ प्रतापगढ का विलीनिकरण राजस्थान राज्य में हों गया और राजस्थान राज्य में राजस्थान टेनेन्सी एक्ट सन 1955 में लागू हो गया और उसी नियमानुसार वादीगण के बाप–दादाओं के खातेदारी कब्जे काश्त चली आ रही आराजी जैस बहस में वादीगण का परिवार नियमानुसार नियमित रूप से लगातार अबाध गति से निरन्तर शांतिपूर्वक आज तक खेती करता चले आ रहा है और आज तक लगान देता चला आ रहा है और इन आराजियों का उपयोग उपभोग वादीगण निरन्तर आज तक करते चले आ रहे हैं। इन आराजियों में उक्त रियासत देवगढ प्रतापगढ के राजस्थान राज्य में विलीनीकरण के बाद के करीब 70–75 वर्षों में कभी भी एक दिन के लिए भी प्रतिवादी क्रमांक –1 या इनके परिवार के किसी सदस्य ने इन आराजियों में खेती नहीं की, ना ही किसी अन्य से खेती करवाई। प्रतिवादी क्रमांक –1 का इन 70–75 वर्षों में कभी भी एक दिन भी इन आराजियों में कब्जा नहो रहा है। इन सत्तर– पिचत्तर वर्षों में कभी एक बार भी इन आराजियों की जमीन की फसल प्रतिवादी क्रमांक–1 नहीं ले गया है।

राजस्थान राज्य के निर्माण के बाद के इन 70 वर्षों में विवादग्रस्त आराजियों में वादीगण का परिवार ही नियमित रूप से निरन्तर अबाध गति से शांतिपूर्वक खेती करते हुए आज तक चले आ रहे हैं। वादीगण का परिवार ही इन आराजियों पर काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग कर रहे है। इस प्रकार वादीगण के परिवार द्वारा ही इन आराजियों का लगान देय है। और इस प्रकार वादीगण का परिवार ही इन आराजियों का लगान निरन्तर 70 वर्षों से देते चले आ रहे हैं। इसीलिए उक्त आराजियों पर 12 वर्षों से अधिक समय से वादीगण का खुला हाई स्टाईल पजेशन शांतिपूर्वक बिना किसी रूकावट से चला आ रहा है। इससे वादीगण की हैसीयत खातेदार काश्तकार की हो गई है।

Scanned with CamScanner

इस प्रकार वादीगण का परिवार ही इन आराजियों का वास्तविक टेनेण्ट है औ
टेनेण्ट भी वादीगण की परिवार ही हैं। वादीगण के परिवार का सजरा खानदान निम्न है–

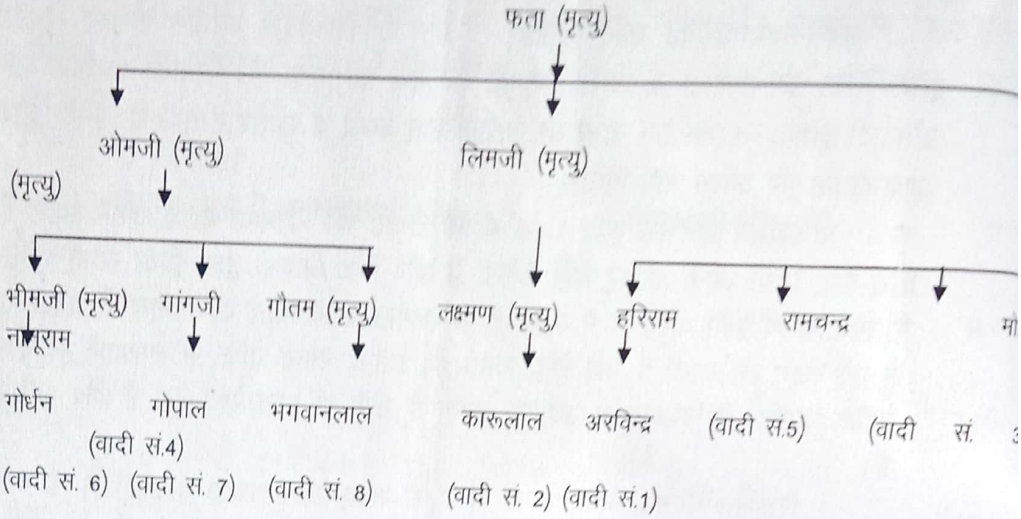

उक्त आराजीयात पर प्रतिवादी क्रमांक –1 ने 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त नहीं किया है इससे भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 63(4) के अनुसार खातेदारी समाप्त हो गई है इससे भी प्रतिवादी क्रमांक – 1 का उक्त आराजियों पर कोई हक व अधिकार नहीं रहा है।

इस प्रकार यद्यपि प्रतिवादी क्रमांक –1 का नाम रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज है किन्तु यह प्रतिवादी या इनका परिवार को सदस्य रियासत देवगढ प्रतापगढ के समय में भी खातेदार टेनेण्ट नहीं था और उसके बाद राजस्थान राज्य के बनने के बाद में भी इन 70–75 वर्षो में इस आराजीयों का कभी टेनेण्ट नही रहा है।

वाद कारण उक्त आराजीयों की जमाबन्दी, खसरा, ट्रेस की नकल पटवारी व तहसील कार्यालय से प्राप्त करने से प्रतिदिवस उत्पन्न है।

वर्तमान में खेती (कृषि) की जमीनों की कीमतें बहुत बड गई हैं इसलिए प्रतिवादी क्रमांक –1 या इनका परिवार के सदस्य कभी भी बेईमानीपूर्वक मिथ्या (झूठा) रेवेन्यु रिकॉर्ड के बल पर वादीगण की वादग्रस्त आराजीयों को बलपूर्वक या धोखा धडी कर छीन सकता है। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि यह गलत इन्द्राज सही करवाया जावें। आराजी जैर बहस में खातेदारों के रूप में रेवेन्यु रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज कराना जरूरी हो गया है और इसी उद्देश्य से घोषणा खातेदारी का यह वाद पत्र श्रीमान न्यायालय आपकी सेवा में पेश है।

प्रतिवादी क्रमांक – 1 या इनके परिवार के सदस्य द्वारा बलपूर्वक या छल कपट कर जमीन जैर बहस वादीगण से छीन ली तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी इसलिए बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी क्रमांक –1 स्थायी निषेधाज्ञा की राहत का यह पत्र श्रीमान न्यायालय आप में पेशकर न्यायालय आप से राहत मांगी जा रही है।

दौराने वादपत्र सुनवाई अगर प्रतिवादी क्रमांक –1 या इनके परिवार के सदस्य ने जमीन जैर बहस वादीगण से बलपूर्वक छीन ली तो उक्त जमीन का कब्जा प्रतिवादी से वादीगण को मय हर्जाना दिलाया जावें।

राजस्थान राज्य हस्तगत दावे में एक फोरमल पार्टी है इनके विरूद्ध कोई दाद नहीं मांगी जा रही है। इस कारण दफा 80 जा0दी0 का नोटिस राजस्थान राज्य को नहीं दिया है।

घोषणा खातेदारी का वाद हेतु रियासत देवगढ प्रतापगढ के समय से ही प्रारम्भ होकर राजस्थान राज्य में निरन्तर जारी रहकर आज तक जारी है।

घोषणा खातेदारी का वाद हेतु बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी क्रमांक–1 उत्पन्न होकर जारी है।

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी क्रमांक – 1 या इनकार परिवार के किसी सदस्य द्वारा झूठे रेवेन्यु इन्द्राज के
र पर कभी भी वादीगण से आराजीयों को बलपूर्वक छीन लेने का अन्देशा(सन्देह) बना हुआ है
कारण स्थायी निषेधाज्ञा का वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी क्रमांक–1 निरन्तर जारी हैं।
: प्रार्थना है कि बहक वादीगण के खिलाफ प्रतिवादी कमांक–1 के वारिश मैनाबाई के खिलाफ
शय की डिक्री प्रदान की जावें।

अ)– कि इस आशय की घोषणा खातेदारी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी सं.–1 व उनके वारिश
ाम सेवना पटवार हल्का सेवना तहसिल अरनोद जिला–प्रतापगढ में स्थित वर्तमान आराजी नं.
735 रकबा 1.27 हैक्टेयर वादी क्रमांक –1 , आरजी नं. 741 रकबा 0.61 हैक्टेयर वादीकमांक –8 ,
आराजी नं. 742 रकबा 0.62 हैक्टेयर वादीकमांक 6, आराजी नं. 743 रकबा 0.59 हैक्टैयर , वादी
कमांक 7, आराजी नं. 764 रकबा 0.22 हैक्टैयर व 765 रकबा 0.00 हैक्टैयर वादी कम सं. 3 ,4 व
5 , आराजी नं.766 रकबा 1.05 हैक्टेयर वादी कम सं. 2 , कुल किता 07 कुल रकबा 05.36
हैक्टेयर कुल लगान 33 रूप्या 33 पैसा के खातेदार वादीगण हैं। एवं तदनुसार ही रेवन्यु रेकार्ड में
ही ईनद्राज दुरूस्ती आदेश प्रदान कराया जावे।

(ब)– कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी कमसं. –1 व उसके वारिश के इस आशय कि स्थायी
निषेधाज्ञा प्रदान करायी जावे कि वाद की कलम सं. –1 में वर्णित वर्तमान आराजी नं. 735,
741,742, 743, 764, 765 तथा 766 रकबा क्रमशः 1.27 हैं ,0.61 है. ,0.62 है. , 0.59 है. , 0.22 है. ,
1.00 है. व 1.05 है. कुल किता 07 रकबा 5.36 है. का कब्जा वादीगण से प्रतिवादी कमसं.–1 के
वारिश न स्वयं छीने , न ही किसी अन्य से छिनावे। इन आराजियों का उपयोग उपभोग जो
वादीगण कर रहे हैं उसमें कोई भी वादा किसी भी प्रकार की रूकावट प्रतिवादी कमसं.–1 व उसके
वारिश ना स्वयं पैदा करे, ना परिवार के किसी सदस्य एवं अन्य किसी से करावे।

(स)– कि दौराने वाद पत्र सुनवाई यदि प्रतिवादी कमांक सं.–1 व वारिश ने जमीन जैर बहश का
कब्जा वादीगण से छीन ले तो प्रतिवादी कमांक–1 व उसके वारिश से वादीगण को बिना कब्जा
दिलाए जाने की डिक्री प्रदान करे। तथा हर्जाना भी नियमानुसार प्रतिवारी कम सं. –1 से वादीगण
को दिलाया जावे।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी हुआ प्रतिवादी कम सं.–1 को
जारी नोटिस सम्मन अदम तामिल प्राप्त हुआ। वकील वादी ने समाचार पत्रों में छाया कराने का
प्रार्थना पत्र पेश किया। समाचार पत्र के माध्यम से तामिल कराने के आदेश दिए गये। तलबी हेतु
समाचार पत्र जय कांठल समाचार पत्र में छाया कराया गया। प्रार्थिया मैनाबाई जोशी मय वकील
की और से आदेश –1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वादी वकील द्वारा
आदेश–1 नियम 10 सीपीसी का जवाब पेश किया गया। प्रार्थिया मैनाबाई जोशी का सीपीसी आदेश
1 नियम 10 का प्रार्थ्ज्ञना पत्र स्वीकार किया गया। चुंकि प्रतिवादी कमसं.–1 की मृत्यु होना बताया
गया अतः जिसका वारीशान उनकी पुत्री मैनाबाई को पक्षकार बनाया जाने का आदेश दिया गया।
प्रतिवादी वकील को जवाब के लिए समय दिया गया । प्रतिवादिया मय वकील को बार–बार
आवाज लगाई गई बावजूद भी प्रतिवादिया मय वकील उपस्थित नहीं हुए और नहीं कोई कारण पैश
किया गया । प्रतिवादिया की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हाने से जवाब बंद किया जाकर
प्रतिवादीया के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी वकील द्वारा साक्ष्य हेतु गवाह
उंकार मीणा , भाणजी मीणा व वादीगण अरविन्द , कारूलाल व रामचंन्द्र के शपथ पत्र पेश किए
गये एवं बयान लेखबद्व किए गयें । वादी वकील द्वारा साक्ष्य बंद किया गया।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। ग्राम सेवना पटवार हल्का सेवना वकीलवादी द्वारा अपने साक्ष्य पदर्श–1 की जमाबंदी ग्राम सेवना पटवार हल्का सेवना की संवत् 62 से 65 तक खाता सं. 394 , पदर्श–2 खसरा गिरदावरी ग्राम सेवना ,पदर्श–3 खसरा गिरदावरी में कॉलम सं. 8 व 23 में वादीगण के पूर्वजों के नाम हैं। पदर्श–4 खसरा गिरदावरी सेवना पुरानी आराजी नं. 1011 मी. 1032/1007 की आराजी में संवत् 2007 में कॉलम सं. 23 में वादीगण के बाप दादा मन्ना पिता फत्ता का नाम दर्ज रिकार्ड हैं। पदर्श–5 में खसरा गिरदावरी

Scanned with CamScanner

कॉलम सं.19 में नाम हैं। पदर्श–6 में खसरा गिरदावारी संवत् 2013 से 2014 कॉलम
पूर्वजों के नाम हैं। इसी प्रकार प्रदर्श–7 में हैं। प्रदर्श–8 में देवगढ रियासत जिला साखथ
सेवना संवत् 2002 ,2003,2004 में कॉलम सं. 15, 16 में पूर्वजों के नाम हैं। प्रदर्श–9
रियासत जिला साखथली मौजा सेवना संवत् 2002 ,2003,2004 में कॉलम सं. 15 में
बाप दादा लिमजी पिता फत्ता व पिता फत्ता का नाम दर्ज रिकार्ड हैं। प्रदर्श–10 वर्तमान
का ट्रेस नक्शा जिस पर वादीगण कास्त करते हैं। प्रदर्श–11 से 12 तक मिलान क्षेत्र
प्रदर्श–13 में न्यायालय द्वारा समाचार पत्रों में नोटिस सूचना प्रकाशित कानोटिस हैं। प्रदर्श–
कांठल अखबार में छाया किया गया उसकी प्रतिलिपि व बिल रशीद पेश की गई। राजस्व
की रशीदें प्रदर्श सं.–1 से 58 तक प्रदर्शित है। जिसमें वादीगण के बापदादा लगान अदा कर
और रशीद में नाम हैं। व गवाह

PW-1 भाणजी पिता देवा मीणा का शपथ पत्र मय बयान ।

PW-2 उंकार पिता नंदा मीणा निवासी चिकली का शपथ पत्र मय बयान ।

PW-3 अरविंद भील पिता हरिराम का शपथ पत्र मय बयान ।

PW-4 कारू पिता लक्ष्मण भील का शपथ पत्र मय बयान ।

PW-5 रामचन्द्र पिता मन्ना भील का शपथ पत्र मय बयान ।

मय शपथ पत्र एवं बयान कराए गये। गवाहों के बयान दर्ज किए गये। साक्ष्य प्रदर्श कराये गए ।

निर्णय निम्नानुसार हैं–

वादीगण के अनुसार ग्राम सेवना पटवार हल्का सेवना खाता सं. 394 में दर्ज असराजी नं. 735 , 741, 742, 743, 764, 765, 766, इसके सेटलमेंट सें पूर्व आराजी न 1032/1007 रकबा 6 बीघा 7 बीस्वा , अराजी नं.1011 मी. का रकबा 9 बीघा 2 बी., 1043/1008 रकबा 1 बीघा 2 बी. , 1007 में रकबा 10 बीघा 5 बी. से कुल रकबा 26 बीघा 16 बी. से मिलकर बना हैं। प्रदर्श सं.–1 में दर्शायी आराजी खसरा नं. के पुराने खसरा नं. प्रदर्श 11 व 12 के अनुसार हैं।

प्रदर्श–2 में स्पष्ट हैं कि सेटलमेंट से पहले आराजी नं.1007 मी. एवं 1011मी. में पर भीमजी पिता ओमजी , मन्ना पिता फत्ता , लिम्जी पिता फत्ता ही खेती करते आ रहे थे। इसी प्रकार प्रदर्श 3 से 9 तक यह साबित करता हैं कि वादग्रस्त आराजियात मौजा सेवना की खसरा गिरदावरी में वादीगण के बाप दादाओं के नाम ही आधिपत्य रहा हैं। वादीगण के बापदादा व पूर्वज ही उक्त आराजी पर खेती करते रहे हैं। तथा कास्त करने के बदले जो लगान भु–राजस्व अदा किया हैं वो भी वादीगण के बाप दादाओं लिम्जी , मन्ना, ओमजी पिता फत्ता द्वारा किया गया इससे यह सिद्व होता हैं कि उक्त समय से ही वादीगणों के बापदादाओं का ही विवादित आराजी पर कब्जा कारत रहा हैं । ग्वाह भाणजी जो ग्राम चिकली का निवासी हैं अपने शपथ पत्र व बयान में यह उल्लेख किया हैं कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर वादीगण कास्त कर रहें हैं। इससे पहले इनके पूर्वज खेती करते थे। ग्वाह उंकार पिता नंदा निवासी चिकली ग्राम पंचायत सेवना ने भी शपथ पत्र में स्पष्ट किया कि विवादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में वादीगण कास्त कर रहें हैं। इससे पहले इनके पूर्वज खेती करते थे। प्रतिवादी सं. 1 को नहीं जानते हैं। व ना हीं इनके वारिशान व परिवार के सदस्य व अन्य को खेती करते नहीं देखा हैं।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजों एवं गवाहों के बयानों से स्पष्ट हैं कि वादीगण एवं उनके पूर्वज ही वादग्रस्त आराजी पर कास्त करते आ रहे हैं। तथा वादीगण के पूर्वज ही निरन्तर लगान जमा करते आ रहे हैं। प्रतिवादी कमांक–1 व उसके वारिश द्वारा ना ही कभी उक्त आराजी पर कास्त की हैं और नहीं वादीगण के दावे के विरूद्व अपना पक्ष रखने उपस्थित नहीं हुए चुंके वादीगण के पूर्वज वादग्रस्त आराजी के sub-tenant के रूप में कास्त कर रहे हैं एवं लगान भी अदा कर रहे हैं तथा प्रतिवादीगण कमांक 1 व वारीशान के खातेदारी अधिकारों का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा के तहत पर्यवसन हो चुका हैं। अतः वाद वादीगण का स्वीकार

Scanned with CamScanner

किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी आराजी नं. 735 , 741,742 ,743, 764 ,765 व 766 कुल किता 07 रकबा 5.36 है. ग्राम सेवना पटवार हल्का सेवना का खातेदार घोषित किया जाता हैं। इस आशय की डिक्री जारी हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
अरनोद

Scanned with CamScanner